# न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-84/2023

राज्य

बनाम्

शेतर मुण्डा

## –: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1570 / अप०शा० दिनांक 06.07.2023 से बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–78 / 2023 दिनांक–25.05.2023 में जप्त वाहन को राजसात की कार्रवाई हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारम्भ किया गया।

P 4004/5 12/2023

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–78 / 2023 दिनांक–25.05.2023 से संबंधित है।

P 1794/03 06/24

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." एवं नियम 9 (i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS.

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि स०अ०नि० पारसनाथ प्रसाद वर्तमान में बालूमाथ थाना अन्तर्गत मुरपा पिकेट में प्रतिनियुक्त के टंकित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–78 / 2023 दिनांक–25.05.2023 दर्ज किया गया। टंकित आवेदन में उल्लेखित है कि दिनांक 25.05.2023 को सुबह करीब 09:00 बजे वरीय पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली कि पूर्णाडीह साईडिंग, जिला चतरा से कोयला चोरी कर टण्डवा थाना क्षेत्र के ग्राम बघलता से सलिचनवा होते हुए सिरम की ओर एक अवैध कोयला लदा ट्रैक्टर जा रही है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सशस्त्र बल के साथ सलिचनवा जाने के

क्रम में सिरम जंगल के कच्ची सड़क के पास पहुंचा तो देखा कि एक ट्रैक्टर जिसमे कोयला लोड है। सलिचनवा की ओर से आ रही है। उक्त ट्रैक्टर के चालक जैसे ही पुलिस को अपनी ओर आता देखा, तो ट्रैक्टर खड़ी कर जंगल मे भागने लगा, जिसे सथ गये छापामारी सशस्त्र दल के द्वारा पकड़ने का काफी प्रयास किया गया, परन्तु चालक जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। तत्पश्चात् ट्रैक्टर के पास आकर देखा तो पाया कि बिना रजि0 नं0 का ट्रैक्टर जिसके बिना रजि0 नं0 के ट्राली में कोयला लदा हुआ है। ट्रैक्टर पर उक्त कोयला से संबंधित कागजात की खोजबीन किया परन्तु कोयला से संबंधित कोई भी कागजात नहीं मिला। तत्पश्चात वहा रास्ते से गुजर रहे झिरगा उरांव व पवन कुमार यादव के समक्ष जप्ती के नियमों का पालन करते हुए पकड़ाये ब्लू रंग का स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर मॉडल नं0–735FE बिना रजि0 नं0 जिसका ईंजन नं0–CJ.1354/NF005287 चेसिस नं0–MBNAK48ACNTF17530 में बिना रजि0 नं0 के लगा ट्राली में करीब 2.5 टन अवैध कोयला सहित ट्रैक्टर को जप्त कर मुरपा पुलिस पिकेट परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। इस प्रकार अवैध रूप से कोयला चोरी कर व्यापार/परिवहन करना एक संज्ञेय अपराध है। काण्ड में जप्त ट्रैक्टर मॉडल नं0–735FE बिना रजि0 नं0 जिसका ईंजन नं0–CJ.1354/NF005287 चेसिस नं0–MBNAK48ACNTF17530 में बिना रजि0 नं0 के लगा ट्राली एवं उसपर लदे करीब 2.5 टन अवैध कोयला के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई हेतु अनुरोध किया किया गया है।

उत्तरवादी तेतर मुण्डा के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ट्रैक्टर ईंजन नं0–CJ.1354/NF005287 चेसिस नं0–MBNAK48ACNTF17530 बिना रजि0 नं0 के लगा ट्राली में करीब 2.5 (ढाई टन) अवैध कोयला से संबंधित है। जिसे बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–78/2023 पंजीकृत कर ट्रैक्टर (इंजन) को जप्त किया गया है। उत्तरवादी तेतर मुण्डा का केवल इंजन (ट्रैक्टर) का कानुनन निबंधित स्वामी है तथा जप्त इंजन का पंजीयन संख्या–JH19E-1582 है, जो कि किसी अपराध या अवैध कोयला में स्थित नहीं था। नाहि कोयला लदे ट्रॉली से सरोकार है। नाही इंजन स्वामी से संबंधित है। उत्तरवादी काफी गरीब, असहाय, आदिवासी व्यक्ति है तथा अपनी खेती–बारी को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर का इंजन खरीदा था। जिसका

रजिस्ट्रेशन नं0 भी प्राप्त कर चूका है। आवेदक का अभी तक इस केस के अलावा कोई अन्य केस लंबित नही है। उत्तरवादी का माननीय उच्च न्यायालय, रांची से अग्रिम जमानत 5000/– (पांच हजार) रूपये की सिक्युरिटी राशि न्यायालय मे जमा करने के पश्चात् हुई है। उक्त इंजन मेरे घर के बाहर खड़ी थी तथा किसी अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा उक्त घटना मे संलीप्त किया गया है जो कि मेरी जानकारी मे नही थी। भविष्य मे किसी भी गैरकानूनी कार्यों मे संलिप्त नही रखूंगा। ना ही किसी अवैध कारोबार करेंगे। उक्त ट्रैक्टर (इंजन) को बैंक से लॉन पर लिया हूं तथा दिन पर दिन लॉन की राशि बढते जा रही है। बिना ट्रैक्टर से खेती–बारी किये इंजन (ट्रैक्टर) का लॉन चुकता करना संभव नहीं है। माननीय न्यायालयों का आदेश है कि व्यवसायिक वाहन को अत्यधिक दिनों तक जप्त नहीं किया जा सकता है। अत्यधिक दिनों तक वाहन जप्त होने से राजस्व का बकाया बढ़ते जाता है। जिसे उत्तरवादी के द्वारा चुकता करना संभव प्रतीत नहीं होता है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश जो कि वाद "नवीन कुमार चौधरी बनाम् झारखण्ड राज्य" दिनांक 03.03.2021 क्रिमनिल रिवीजन नं0–862/2020 में पारित आदेश के आलोक में (4–A) Any Mineral, tools equipment, vehicle or any other thing seized under sub- section (4), shall be liable to be confiscated by an order of the court competent to take cognizance of the offence under sub-section (1) and shall be disposed of in accordance with the direction of such court. उक्त वाद से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय NCT Delhi बनाम् संजय, 2014 (a) SSC पेज नं0–772 में भी पारित आदेश के अनुसार जप्त वाहन का मुक्ति हेतु संज्ञान लेने वाली कोर्ट को ही शक्ति प्राप्त है, इस प्रकार धारा–173(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधिन किसी न्यायिक दण्डाधिकारी को ही संज्ञान लेने शक्ति प्राप्त है ऐसी परिस्थिति में अधिहरण का वाद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। उक्त आलोक में वाद को खारिज करते हुए जप्त ट्रैक्टर पंजीयन संख्या–JH19E-1582, ईंजन नं0–CJ.1354/NF005287 चेसिस नं0–MBNAK48ACNTF17530 को आवेदक के पक्ष में मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि बिना रजि0 नं0 के ट्रॉली एवं ट्रैक्टर मॉडल नं0–735FE, ईंजन नं0–CJ.1354/NF005287 चेसिस नं0–MBNAK48ACNTF17530 जिसको बाद में रजि0 नं0–JH19E-1592 प्राप्त किया गया है से अवैध कोयला का परिवहन किया गया है। साथ ही यह विपक्षी के अधिवक्ता को यह कहना कि कोयला लदे ट्रॉली से ईंजन स्वामी (वाहन मालिक) का ट्रॉली से कोई सरोकार नहीं है, जो अपने–आप में परस्पर विरोधाभाषी है।

अतः ट्रैक्टर रजि0 नं0– JH19E-1592 ईंजन नं0–CJ.1354/NF005287 चेसिस नं0–MBNAK48ACNTF17530 एवं बिना रजि0 नं0 के ट्रॉली तथा 2.5 टन कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहनों के निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 17:07:33 +05:30
Location: 192.168.164.143